संचालनालय कृषि,
छ.ग.रायपुर.

क्र/स्था./अ–1–ब/अ/निःशक्तजन/सी.भ./2015/1022 दिनांकः 29/10/2015

विज्ञापन

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ–20–4/2015/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 25.08.2015 में एवं छ.ग. शासन, कृषि विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क/1979/1989/2015/14–1 रायपुर दिनांक 11.09.2015 के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में कृषि विभाग के अधीन निःशक्तजनों के चिन्हांकित बैकलाग पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत निम्नलिखित पद को सीधी भर्ती से भरने हेतु आवेदन पत्र दिनांक **28.11.2015** तक सायंकाल 5.00 बजे तक संचालक कृषि, लभाण्डी छत्तीसगढ़ रायपुर के कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, आवेदन पत्र कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोष्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. पद की स्थिति –

पदनाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	योग	पद के उपयुक्त निःशक्तजन का प्रकार
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	01	-	01	**04**	O.A. –एक हाथ O.L. –एक पैर O.A.L.–एक बाजू और एक टांग B.L.–दोनों टांग H.H. श्रवण बाधित
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	02	-	-	-	**02**	O.A. –एक हाथ O.L. –एक पैर H.H. श्रवण बाधित
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	84	26	29	70	**209**	O.A. –एक हाथ O.L. –एक पैर L.V. निकट दृष्टि H.H. श्रवण बाधित
प्रयोगशाला सहायक	01	-	-	-	**01**	O.A. – एक बाजु O.L – एक टांग O.A.L. –एक बाजु और एक टांग B.L.– दोनों टांग H.H. श्रवण बाधित
अनुरेखक (ट्रेसर)	01	-	-	-	**01**	O.L – **एक टांग** H.H. श्रवण बाधित

यांत्रिक सहायक	01	-	-	-	**01**	O.L. –**एक टांग** L.V. – निम्न दृष्टि H.H. श्रवण बाधित
स्टेनों टाइपिस्ट	02	-	-	-	**02**	O.A. – **एक बाजु** O.L. – एक टांग B.L. – दोनो टांग O.A.L – एक बाजु और एक टांग B. – दृष्टि विहीन L.V–निम्न दृष्टि
डाटा एन्ट्री आपरेटर	02	-	-	-	**02**	O.A. – **एक बाजु** O.L. – एक टांग O.A.L – एक बाजु और एक टांग B.L. – दोनों टांग H.H. श्रवण बाधित
चैन मेंन	02	01	-	01	**04**	O.A. –एक बाजु H.H. श्रवण बाधित
भृत्य	02	-	-	-	**02**	O.A. – एक बाजु O.L – एक टांग B. – दृष्टि विहीन L.V–निम्न दृष्टि H.H. श्रवण बाधित

*** टीप –** 1. दर्शाये गये रिक्त पदों मे से निःशक्त महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।

2. महिला आवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पुरूष आवेदकों से रिक्त पदों को भरा जावेगा।

2. **शैक्षणिक योग्यता (भरती नियमानुसार)** –

(1) पदनाम :– सहायक सांख्यिकी अधिकारी,

शैक्षणिक योग्यता– गणित विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री अथवा सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पणी :– सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 9300–34800/– ग्रेड वेतन 4300/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(2) पदनाम :– वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,

शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 9300–34800/– ग्रेड वेतन 4300/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(3) पदनाम :– ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी।

शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री।

टिप्पणी :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी (कृषि)/बीएससी (उद्यानिकी)/बी–टेक (कृषि अभियांत्रिकी की डिग्री)

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 5200–20200/– ग्रेड वेतन 2800/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(4) पदनाम :– प्रयोगशाला सहायक।

शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण।

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 5200–20200/– ग्रेड वेतन 2200/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(5) पदनाम :– अनुरेखक (ट्रेसर)।

शैक्षणिक योग्यता– (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ आई.टी.आई संस्था से सिविल ड्रांईग में प्रमाण–पत्र।

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 5200–20200/– ग्रेड वेतन 1900/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(6) पदनाम :– यांत्रिक सहायक।

शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजिनियरिंग/आटो इंजिनियरिंग में डिप्लोमा मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि इंजिनियरिंग धारक व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जावेगा।

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 9300–34800/– ग्रेड वेतन 4200/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(7) पदनाम :– स्टेनों टाइपिस्ट।

शैक्षणिक योग्यता– (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठयक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

हिन्दी स्टेनोंग्राफी (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 5200–20200/– ग्रेड वेतन 1900/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(8) पदनाम :– डाटा एन्ट्री आपरेटर।

शैक्षणिक योग्यता– (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठयक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा दसवी परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र हिन्दी एवं अग्रेजी में डाटा एन्ट्री में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 5200–20200/– ग्रेड वेतन 2400/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(9) पदनाम :– चैनमेन।

शैक्षणिक योग्यता– (1) आठवी उत्तीर्ण ।

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 4750–7440/– ग्रेड वेतन 1300/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(10) पदनाम :– भृत्य/चौकीदार।

शैक्षणिक योग्यता– (1) आठवी उत्तीर्ण ।

वेतनमान – पद का वेतनमान रू. 4750–7440/– ग्रेड वेतन 1300/– तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

3. **आयु** –

(क) 01.01.2016 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।

(ख) यदि अभियर्थी अनुसुचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के लिए जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चूके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, अडतीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, अड़तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द ''छटनी किए गए शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(ड़) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवाओं की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले , वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नालिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग हो तथा जो भारत सरकार के अधिन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो, अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया है।

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो।

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें
(क) अल्पकालीन वचनबद्ध पूर्ण हो जाने पर।

(ख) नांमाकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कर्मी

(चार) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं)

(पॉच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किए गए अधिकारी।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

टीप :–

(1) उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) एवं (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाए, शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अर्न्तजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम् 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(इ) स्वयं सेवा नगर सैनिकों एवं नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष्ज्ञ की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्त किसी एक या एक अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

निःशक्तता की परिभाषऐं :–

(i) (क) दृष्टि बाधित : ''दृष्टि बाधित'' का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थियों से ग्रसित हो –

(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव, अथवा

(ii) बेहतर आंख में दृष्टि सुधारने वाले लैंस के साथ दृष्टि–विमलता 6/60 अथवा 20/200 (स्नैलेन) से अनधिक अथवा

(ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो अथवा इससे बदतर :

(ख) कम दृष्टि : ''कम से दृष्टि वाले व्यक्ति'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत हे जिसकी दृष्टिक–क्रिया उपचार के अथवा मानक परावर्तित सुधार करवाने के बाद भी खराब हो परन्तु जो समुचित सहायक यंत्र से किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में संभावनीय रूप से समर्थ हो।

(ii) श्रवण बाधित निःशक्ता : ''श्रवण बाधित निःशक्ता'' से बेहतर कान में बातचीत स्वरूप की श्रेणी की आवृंतियों से आठ डेसिबल अथवा उससे अधीक का लोप अभिप्रेत है।

(ii) (क) अस्थि बाधित निःशक्ता ''अस्थित बाधित निःशक्ता'' हड्डिया जोड़ों अथवा मांसपेशियों की निःशक्ता अथवा किसी भी तरह प्रमस्तिक अंगाघात (Cerebrat Palsy) अभिप्रेत है जिससे अंगों के हिलने–डुलने मे अत्याधिक बाधा हैं

(ख) प्रमस्तिक अंगाघात (Cerebrat Palsy) ''प्रमस्तिक अंगाघात (Cerebrat Palsy) से किसी व्यक्ति की गैर विकासोन्मुख स्थितियों का समूह अभिप्रेत है, जो जन्म से पूर्व जन्म के आसपास अथवा विकास की आरंभिक अवधि में घटित मस्तिक–आघात अथवा चोटों के परिणामस्वरूप चलने–फिरने की असामान्य नियंत्रण–भंगिमा के रूप में परिलक्षित होता है।

(ग) शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के सभी मामले ''अस्थि बांधित निःशक्ता अथवा प्रमस्तिक अंगाघात (Cerebrat Palsy) की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।

5 अन्य शर्ते :–

(1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जिसके समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(2) चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही नियमानुसार नियमित किया जाएगा।

(3) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(4) जन्मतिथि की पुष्टि स्वरूप सक्षम प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(5) आवेदक का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(6) कोई भी उम्मीदवार जिसके विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, वह व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी उम्मीदवार जिसकीर दो से अधिक जीवित संतान है। जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(8) आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर लगाना अनिवार्य होगा।

(9) सभी आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतः भरे हेतु आवेदन पत्र संचालक कृषि छ.ग. लभाण्डी रायपुर में दिनांक **28.11.2015** को सायं 05.00 बजे तक अथवा उसके पूर्व प्राप्त होना चाहिए। कार्यालय में प्रत्यक्ष/सीधे जमा किये गये आवेदन पत्रों पर एवं अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं वे स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे, इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

(10) आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ ''9X4'' का लिफाफा जिस पर 5.00 रूपये का डाक टिकट चस्पा हो संलग्न करना अनिवार्य है।

(11) निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है, जो स्थानीय उम्मीदवारों द्वारा कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर अवलोकन किया जा सकता है।

(12) सेवा में भर्ती शैक्षणिक योग्यता में मेरिट आधार पर चयन द्वारा किया जावेगा।

(13) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छ.ग. के किसी भी जिला/अनुविभाग/विकासखण्ड में की जा सकेगी।

(14) लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं जाति वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है।

(15) आवेदक को छत्तीसगढ़ भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होगा।

(16) शासकीय अर्द्धशासकीय अथवा अन्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(17) भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

(18) चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(19) उपर्युक्त विज्ञापित रिक्त पद कीसंख्या परिवर्तनीय हो सकती है, जिसे घटाया/ बढ़ाया जा सकता है।

(20) समस्त उम्मीदवारों से निःशुल्क आवेदन स्वीकार्य है। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरांत अर्हतादायी अभ्यर्थियों को यदि आवश्यक हो तो साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की सूचना दी जायेगी। उक्त संबंध में किए गए यात्रा हेतु किराया अथवा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

(21) निःशक्तता का प्रमाण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी/(मेडिकल बोर्ड) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न कि जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अमान्य किया जावेगा।

(22) निःशक्तजनों की सीधी भरती द्वारा नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अध्यधीन होगा।

महत्वपूर्ण सूचना :–

(1) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तो को पूरा करने पर ही अपने आवेदन पत्र भेजें। केवल आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा, कि आवेदक को योग्य मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

(2) प्रत्येक आवेदक को चाहिए, कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सावधानीपूर्वक सहीं एवं पूर्ण रूप से भरें। यदि आवेदन में जानकारी असत्य, अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में किसी भी स्तर पर आवेदक को बिना सूचना दिए आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

सही/—
संचालक कृषि
छ.ग.रायपुर

नि:शक्तजन .... पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल की पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें

प्रति,

संचालक कृषि,
छ.ग. रायपुर

1 आवेदक का पूरा नाम (हिंदी में) :...

(अंग्रेजी कैपिटल लेटर में) :...

2 लिंग (पुरूष / महिला) :...

3 वैवाहिक स्तर (विवाहित / अविवाहित / विधवा / विधुर) :...

4 विवाहित होने पर जीवित बच्चों की संख्या :...

5 26 जनवरी 2001 के पश्चात् जन्म लिये बच्चों की संख्या :...

6 पिता / पति का नाम :...

7 जाति :...

8 संवर्ग (सामान्य / अपिव / अजा / अजजा) (आरक्षित वर्ग सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) :...

9 जन्मतिथि (अंकों में) :...

(शब्दों में) :...

10 दिनांक 01.01.2016 को आयु :......................... वर्ष ....माह ....दिन

11 स्थाई पता :...

:...

12 पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :...

(मोबाईल क्रमांक सहित) :...

13 शैक्षणिक योग्यता –

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा / डिग्री	बोर्ड / कृषि वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	Total Grade Point Average	OGPA	प्रतिशत	श्रेणी

14 अन्य योग्यता / अनुभव का विवरण :..

15 रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक :..

16 क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है / थे ? :..

यदि हां तो कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति

प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

17 भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगता की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र :..

की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

18 क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने / न्यायालय :..

में लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है ? यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ।

टीप – जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1- --
2- --

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं समस्त अभिलेख पूर्णतः सत्य एवं सही है । कोई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन उपरांत भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पूरा पता)

संचालनालय कृषि,

छत्तीसगढ़ रायपुर

क्र/अ–1–ब/अ/सी.भ./नि.ज./2015/1023 रायपुर दिनांक 29/10/2015

प्रति ,

आयुक्त,
जनसंपर्क,
महिला पुलिस थाना के पास,
रायपुर।

विषयः– दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत्।

संदर्भः– छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मत्रांलय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ–20–4/2015/अ.प्र./1–3 रायपुर दिनांक 25.08.2015

––––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृषि विभाग के अधीन निःशक्तजनो के चिन्हांकित बैकलाग पदो की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत निम्नलिखित पदो को सीधी भरती से (संलग्न) भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

विज्ञापन का प्रारूप एवं शर्ते विभागीय वेबसाईट www.agridept.cg.gove.in में भी अपरोड किया गया है वेबसाईट में अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।

कृपया दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित करना चाहेगे।

संलग्नः– छायाप्रति।

सही/–
उप संचालक कृषि (स्था.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर